छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 1112/2007</u>

श्री योगेन्द्र चन्द्राकर,
एव्होकेट,
क्वा.नं. 2 एफ, सड़क–27 ए, सेक्टर–7,
भिलाई नगर, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय पुलिस अधीक्षक,
महासमुन्द (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::

(दिनांक 07 मार्च 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री योगेन्द्र चन्द्राकर द्वारा जन सूचना अधिकारी, कार्यालय पुलिस अधीक्षक, महासमुंद के कार्यालय में सूचना हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था। वहां से दिनांक 24–07–2007 को उन्हें उत्तर दियागया और आवेदन निरस्त किया गया। तत्पश्चात् उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर के समक्ष प्रस्तुत अपील प्रस्तुत की गई, जिनके द्वारा दिनांक 31–10–2007 को अपील निरस्त की गई। उससे असंतुष्ट होकर आयोग के समक्ष यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण कें रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत तर्कों का श्रवण किया गया। प्रकरण में जन सूचना अधिकारी द्वारा और प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 8(घ) के अनुसार सूचना को प्रकट किये जाने से विमुक्त किया जाना मानकर आवेदन एवं प्रथम अपील निरस्त की है। इस संबंध में परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिका इसी श्रेणी में आती है, जिन्हें दिये जाने से गोपनीयता भंग होती है। इस संबंध में आयोग द्वारा पूर्व में भी अनेक निर्णय दिये हैं। अतः उपरोक्त स्थिति में जन सूचना अधिकारी ने और प्रथम अपीलीय अधिकारी ने जो आदेश दिये हैं वह अपने स्थान पर सही है और इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

3/ अतः उक्त अपील निरस्त की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त